

वाद अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.एक्ट सहपठित धारा 136 एल.आर.एक्ट बाबत।

महोदय ,

2072-2075

निवेदन है कि ग्राम सुनारी जमाबंदी सं. ~~54~~ के खाता सं. 54 में दर्ज खातेदार/वादीगण के पिता/पति/हिरसा/जाति/निवासी में गलत इन्द्राज/लिपीकीय त्रुटी को अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट में निम्नानुसार शुद्ध किया जाकर अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.एक्ट में खातेदार घोषित किया जावे।

भू प्रबंध खतौनी खाता सं	भू प्रबंध खतौनी अनुसार प्रविष्टि	वर्तमान जमाबंदी खाता सं	वर्तमान इन्द्राज / त्रुटी पूर्ण इन्द्राज	प्रस्तावित इन्द्राज (शुद्ध प्रविष्टि)
1	2	3	4	5
		54 2072-2075	बड़ीलाल पुत्र काना जाति मेघवाल जाति	बड़ीलाल मेघवाल पुत्र कहेयालाल मेघवाल जाति

वादी एवं गवाहान का नाम/पिता/जाति/निवासी का विवरण

हस्ताक्षर

1. बड़ीलाल मेघवाल पुत्र कहेयालाल मेघवाल कहेयालाल मेघवाल
2. ....
3. ....
4. ....

रिपोर्ट पटवारी

वादी/प्रार्थी के वाद पत्र के अनुसार ग्राम सुनारी के राजस्व रिकार्ड की जांच की गई। मजमे आम में ली गई जानकारी /भू प्रबंध जमाबंदी एवं वर्तमान जमाबंदी में दर्ज त्रुटीपूर्ण इन्द्राज उक्त सारणी अनुसार शुद्ध किया जाकर तदनुसार वादी खातेदार घोषित होने योग्य है।

कहेयालाल मेघवाल  
18/3/25

हस्ताक्षर पटवारी

प०म०

सांगरिया

रिपोर्ट भू०अभिलेख निरीक्षक

पटवारी रिपोर्ट की जांच की गई। राजस्व रिकार्ड में दर्ज त्रुटीपूर्ण इन्द्राज पटवारी रिपोर्ट अनुसार शुद्ध किये जाने योग्य है।



सांगरिया  
20/03/25  
अभिलेख निरीक्षक  
प०म० टावल्यपीनी

(13)

रिपोर्ट तहसीलदार/पेरोकार सरकार

क्रमांक: राजस्व/2025/ ५३४

दिनांक: २१-३-२४

महोदय, जांच रिपोर्ट पटवारी एवं भूअभिलेख निरीक्षक अनुसार ग्राम सुनारी के वादी/प्रार्थी के राजस्व रिकार्ड में दर्ज त्रुटीपूर्ण इन्द्राज को शुद्ध किया जाना उचित होगा। रिपोर्ट सादर प्रस्तुत है।

तहसीलदार/जायब तहसीलदार  
सुनेल (झालावाड़) राज

आदेश

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिडावा जिला झालावाड़ राज0

क्रमांक: राजस्व न्यायालय/2025/ 54

दिनांक: २५/३/२४

वादी/प्रार्थी के ग्राम सुनारी के राजस्व रिकार्ड में दर्ज त्रुटीपूर्ण इन्द्राज को तहसीलदार सुनेल की उक्त जांच रिपोर्ट/प्रस्ताव अनुसार प्रस्तावित सारणी के कॉलम 4 में अंकित त्रुटीपूर्ण इन्द्राज को कालम सं. 5 अनुसार दुरुस्त किया जाना स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार सुनेल को आदेशित किया जाता है कि वादी/प्रार्थी के राजस्व रिकार्ड में सारणी के कालम सं. 5 अनुसार इन्द्राज दुरुस्त कर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें।



उपखण्ड अधिकारी पिडावा  
जिला झालावाड़ राज0  
उपखण्ड अधिकारी पिडावा  
जिला झालावाड़